



## रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर  
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक- 66 दिनांक 09.10.2017)


रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्य के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रचलित दर अनुसूची छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 पर निविदा आमंत्रण की तिथी तक संशोधित दर पर मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र "अ" में प्रतिशत अधिक/कम दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये दिनांक 31.10.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट [www.rdaraipur.com](http://www.rdaraipur.com) में देखा जा सकता है।

क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5
1	शारदा चौक योजना ब्लॉक ए,बी,सी, एवं डी में मरम्मत कार्य।	रु. 1.39 लाख	रु. 2,000.00	दो माह

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक0) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक 30.10.2017 को दोपहर 1.30 बजे तक रु. 300/- नगद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक 31.10.2017 को 1.30 बजे तक एफ.डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

(1) निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीयन। (2) गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (3) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तों के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोंपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

  
कार्यपालन अभियंता  
रायपुर विकास प्राधिकरण,  
रायपुर (छ.ग.)